राजधानी में मंगलवार को शीतला सप्तमी के अवसर पर पूजा अर्चना करती महिलाएं।

नौरादेही बनेगा चीतों का तीसरा घर

मंत्रिपरिषद बैठक से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने साझा की कई महत्वपूर्ण जानकारी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश का रानी दुर्गावती अभयारण्य (नौरादेही) जल्द ही चीतों का तीसरा घर बनने जा रहा है। लगभग दो महीने बाद यहां भी चीते छोड़े जाएंगे, जिससे प्रदेश में चीतों के तीन सुरक्षित आवास विकसित हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने टी-20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर भी खुशी व्यक्त की और कहा कि खिलाड़ियों ने अपने दृढ़ संकल्प, साहस और पराक्रम से देश का मान-सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने मध्यप्रदेश सरकार और पूरी मंत्रिपरिषद की ओर से भारतीय टीम को बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) 2026 के परिणामों में मध्यप्रदेश के दो अभ्यर्थियों के टॉप-10 में स्थान प्राप्त करने पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के कई युवाओं का आईएएस, आईपीएस और आईआरएस सहित विभिन्न सेवाओं में चयन हुआ है, जिससे प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा सराहना की गई है। अभियान के तहत प्रदेश में लाखों जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है और आगामी 19 मार्च से इसका नया चरण शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में डिजिटल पंजीयन प्रणाली 'संपदा 2.0' के माध्यम से दस्तावेजों का पूर्णतः पेपरलेस ई-पंजीयन शुरू कर दिया गया है। इस व्यवस्था से नागरिकों को त्वरित सेवाएं और प्रशासन में पारदर्शिता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा सरकार ने गेहूं की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने और उड़द की खरीद पर 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पचमढ़ी को देश का बेहतरीन पर्यावरणीय मॉडल विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

सिंहस्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा प्रदत्त स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट ने 3 हजार 839 करोड़ की लागत से एनएच 752ष्ठ पर बदनावर-पेटलावद-थांदला-टिमरवानी सेक्शन के फोर लेन निर्माण की मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया है। डॉ. यादव ने कहा कि यह कॉरिडोर उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के टिमरवानी इंटरचेंज तक सीधी फोर लेन कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे जहां इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन और देवास के औद्योगिक केंद्रों तक पहुंच सुगम होगी वहीं धार एवं झाबुआ जिले का समग्र आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा। यह स्वीकृति इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे सिंहस्थ-2028 के दौरान श्रद्धालुओं का आवागमन अधिक सुविधाजनक हो जाएगा।

खास-खबरें

परमार ने पंचवटी घाट पर किया श्रमदान

भोपालः तकनीकी शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने सोमवार को चित्रकूट प्रवास के दौरान पवित्र पंचवटी घाट पर माँ मंदाकिनी नदी के स्वच्छता अभियान में भाग लेकर श्रमदान किया।श्री परमार ने स्वयं घाट परिसर में सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। श्री परमार ने कहा कि चित्रकूट धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ बहने वाली माँ मंदाकिनी नदी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, इसलिए इसकी स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री परमार ने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जनभागीदारी से सफल होने वाला जनआंदोलन है। श्री परमार ने घाट परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर घाट की सफाई की और लोगों से अपील की कि वे नदी में कचरा न डालें।

फरवरी में 6.13 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3.68 करोड़ रुपए की राहत

भोपालः मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को फरवरी माह में बिजली बिल में बड़ी राहत दी है। कंपनी द्वारा टाइम ऑफ डे योजना के तहत फरवरी 2026 में कुल 6 लाख 13 हजार 877 उपभोक्ताओं को उनके मासिक बिजली बिल में 3 करोड़ 68 लाख 1 हजार रुपये से अधिक की छूट प्रदान की गई। कंपनी के अनुसार स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को दिन के टैरिफ में 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह छूट उपभोक्ताओं की वास्तविक बिजली खपत के आधार पर दी गई है और इसकी गणना सरकारी सब्सिडी से अलग की गई है। योजना का लाभ घरेलू, गैर-घरेलू, सार्वजनिक जल कार्य, स्ट्रीट लाइट और निम्नदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है।

बिजली कार्मिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा का अनोखा कवच

भोपालः ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू की गई है। कम प्रिमियम पर अधिक चिकित्सकीय व्यय लाभ दिलाने वाली यह योजना बिजली कार्मिकों के लिए अनोखे कवच के रूप में काम आएगी। इस योजना के बिजली कंपनी एवं मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस के बीच दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया मंगलवार को प्रबंध निदेशक कार्यालय में की गई। मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान, संयुक्त सचिव संजय मालवीय, इंश्योरेंस कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय रिछारिया मौजूद थे। इस कैशलेस हेल्थ बीमा योजना से कार्मिकों के परिवार का पांच सौ रूपए प्रतिमाह की प्रिमियम पर 5 लाख का, एक हजार मासिक प्रिमियम पर दस लाख का, दो हजार मासिक प्रिमियम पर 25 लाख का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर रहेगा।

राजधानी के 40 इलाकों में आज बिजली कटौती

भोपालः बिजली कार्य के मेटेनेंस के चलते भोपाल के करीब 40 इलाकों में बुधवार को 1 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी, उनमें एमपी नगर जोन-2, मालीखेड़ी, विजय नगर, पटेल नगर, ओम नगर, सलैया, सनखेड़ी, चिनार कॉलोनी, पृथ्वी कोर्टयार्ड, लिबर्टी कॉलोनी, समरधा समेत कई बड़े इलाके भी शामिल हैं। सुबह 8.30 से 11 बजे तक अंबर कॉम्पलेक्स, एमपी नगर जोन-2 एवं आसपास। सुबह 9 से 10 बजे तक निर्मला देवी गेट, आम्र विहार, कोलार, डीके हनी होम्स, वरुण नगर, स्वागत बंगलो एवं आसपास। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मालीखेड़ी, शबरी नगर, पिपलिया बाज खां, विजय नगर, पटेलनगर, विजय मार्केट, बिहारी बस्ती, लीलाधर कॉलोनी, समता नगर, कल्याण नगर, आरबीआई कॉलोनी एवं आसपास। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक इंद्रा नगर, बहेटा गांव, बैरागढ़ में एच वार्ड, जी वार्ड, एफ वार्ड एवं आसपास। सुबह 10 से दोपहर 12.30 बजे तक भीम नगर, ओम नगर, वल्लभ नगर एवं आसपास। सुबह 10.30 से दोपहर 2.30 बजे तक भैरोपुर, अंबिका गृह निर्माण कॉलोनी, भोजपुर तिराहा एवं आसपास के क्षेत्र। शाम 4 से 4.30 बजे तक बीडीए कॉलोनी ई-सेक्टर, सलैया, सनखेड़ी, स्टेट बैंक, चिनार कॉलोनी, पृथ्वी कोर्टयार्ड, लिबर्टी कॉलोनी, समरधा एवं आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।

ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, मोबाइल में लाखों रुपए के लेनदेन का खुलासा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा संचालित करने वाले तीन आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं, जिनमें लाखों रुपये के लेनदेन और सट्टे से जुड़ी आईडी का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा कोलार रोड स्थित होटल गैलेक्सी के संचालन की आड़ में यह अवैध कारोबार किया जा रहा था।

क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शिवाजी नगर स्थित नूतन कॉलेज के पीछे दो व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे हैं और अन्य लोगों को सट्टे की आईडी उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम दीपक जाधव और विजय यदुवंशी निवासी साई बाबा नगर, हबीबगंज बताया।

पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन की जांच की, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल पर क्रिकेट सट्टे से संबंधित आईडी लॉगिन मिली। जांच में आईडी में 2 लाख 32 हजार 455 रुपये का बैलेंस भी पाया गया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने की बात स्वीकार की। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी कोच फैक्ट्री क्षेत्र के रहने वाले हेमंत सिंह परिहार उर्फ चंदू से सट्टे की आईडी खरीदते थे। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसके मोबाइल में भी सट्टे से जुड़ी आईडी और 1 लाख 5 हजार 256 रुपये का बैलेंस मिला है।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी दीपक जाधव कोलार रोड स्थित 'गैलेक्सी होटल' के संचालन की आड़ में सट्टे का नेटवर्क चला रहा था। मामले में रोहित परिहार निवासी ग्वालियर और विनोद राजपूत निवासी कोच फैक्ट्री फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस ने फरार आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है।

राजधानी में मंगलवार को सेन्ट्रल लायब्रेरी मैदान में आयोजित रोजा अफ्तार कार्यक्रम में शिरकत करते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार।

रेलवे इंजीनियर की मौत के बाद ईडी ने पत्नी पर कसा शिकंजा

जबलपुर कोर्ट में दर्ज कराई शिकायत, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी हुआ नोटिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) क्षेत्रीय कार्यालय ने विभा वेदप्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोग दायर किया है। यह अभियोग विशेष न्यायालय, जबलपुर के समक्ष 10.3.2026 को विभा वेदप्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ दर्ज किया गया है।

यह अभियोग स्वर्गीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव के अनुपातहीन संपत्ति मामले से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में है। इस मामले में,न्यायालय ने आरोपी विभा श्रीवास्तव को पूर्व-संज्ञानात्मक सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी ने सीबीआई, एसीबी, जबलपुर द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(ई) के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।

यह अभियोग स्वर्गीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन मंडल अभियंता, पश्चिमी रेलवे, राजकोट डिवीजन (गुजरात) और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज किया गया था। विभा श्रीवास्तव पर उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसके बाद, सीबीआई ने जबलपुर स्थित सीबीआई मामलों के लिए विशेष न्यायालय में 23 मई 2023 को आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।

ईडी की जांच में पता चला कि स्वर्गीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने रेलवे में लोक सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए, 1.04.2008 से 25.05.2018 की अवधि के दौरान अपनी ज्ञात वैध आय से लगभग 1.66 करोड़ रुपये की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की, जो उनकी ज्ञात वैध आय से 112.39 अधिक थी। इन संपत्तियों में अचल संपत्तियां, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ निवेश और उनके नाम के साथ-साथ उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल थीं। इस मामले में अपराध की कुल आय लगभग 1.66 करोड़ रुपये आंकी गई है।

जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 5.2.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से लगभग 1.58 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। अधिग्रहित संपत्तियों में दो आवासीय फ्लैट, फिक्स्ड डिपॉजिट और स्वर्गीय वेद प्रकाश श्रीवास्तव और विभा श्रीवास्तव के नाम पर बैंक बैलेंस शामिल हैं।

जोमैटो डिलीवरी एजेंट बन रैकी करने वाले सीरियल चैन स्नेचर गिरफ्तार

आठ वारदातों का खुलासा, 17 लाख का माल बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में लगातार हो रही चैन स्नेचिंग की घटनाओं के बीच अयोध्या नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो सीरियल चैन स्नेचरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 17 लाख रुपये कीमत का माल बरामद किया है, जिसमें सात सोने की चैन, एक एक्टिवा और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक शामिल है।

पुलिस के अनुसार 2 मार्च को मिनाल रेजिडेंसी निवासी घनश्याम दास ने शिकायत दर्ज कराई थी कि न्यू मिनाल क्षेत्र में उनकी मां गोमती भकौरिया के गले से बाइक सवार दो बदमाश सोने की चैन झपटकर फरार हो गए। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दो संदिग्धों को भानपुर मल्टी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान आकाश उर्फ अभिमन्यु सिंह (22) निवासी रीवा और निखिल शर्मा (28) निवासी भानपुर मल्टी भोपाल के रूप में हुई है।

आरोपियों ने मिनाल क्षेत्र में तीन और बागसेवनिया क्षेत्र में तीन चैन स्नेचिंग सहित एक वाहन चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी पहले जोमैटो डिलीवरी एजेंट बनकर इलाके की रैकी करते थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। आरोपियों ने लूटी गई सोने की चैन भोपाल और रीवा स्थित मुथूट गोल्ड फाइनेंस में गिरवी रखी थी, जबकि कुछ चैन उन्होंने ज्वेलर्स भुवन सोनी को बेच दी थीं। पुलिस ने ज्वेलर्स को भी आरोपी बनाया है और गिरवी रखी गई चैन जब्त कर ली है। दोनों आरोपी पढ़े-लिखे हैं, लेकिन शराब और महंगे शौक पूरे करने के लिए अपराध की राह पर चल पड़े।

स्टेट बार काउंसिल चुनाव का शेड्यूल जारी, 12 मई को मतदान, मतगणना 16 जून से

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मप्र स्टेट बार काउंसिल चुनाव का शेड्यूल जारी किया गया है। इस बार प्रदेश के करीब 93,000 अधिवक्ता 26 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान करने वाले है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 12 मई 2026 को होगा, जबकि मतगणना 16 जून से शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त चुनाव समिति द्वारा संचालित होगी, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस एस. के. पालो को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 16 मार्च को प्रोविजनल मतदाता सूची जारी करने से होगी। इसके बाद अधिवक्ता 24 मार्च तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते है। अंतिम मतदाता सूची 1 अप्रैल 2026 को प्रकाशित होगी। नामांकन प्रक्रिया 8 से 10 अप्रैल के बीच होगी, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 15 और 16 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार 20 से 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके बाद 22 अप्रैल शाम 5 बजे तक प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इस चुनाव में महिला आरक्षण का प्रावधान भी लागू है। कुल 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 5 पदों पर चुनाव होगा और 2 पदों पर मनोनयन किया जाएगा। अक्टूबर 2025 में स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल समाप्त हो गया था और वर्तमान में परिषद एक्सटेंशन पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे बार काउंसिल के नए नेतृत्व का चुनाव होगा और महिला आरक्षण के प्रावधान के कारण प्रतिनिधित्व में संतुलन भी सुनिश्चित होगा। इस चुनाव में सक्रिय भागीदारी से न्याय क्षेत्र में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिल का यह चुनाव 12 मई को मतदान और 16 जून से मतगणना के साथ एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के तहत सम्पन्न होगा।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल

क्रमांक / / खनिज /2026 भोपाल, दिनांक/ /2026

म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 (1-क) के अंतर्गत उत्खनिपट्टा/ पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (जो भी लागू हो) प्राप्त करने के लिए,

प्रथम सूचना

यह सूचित किया जाता है कि श्रीमती मुरूकान दांगी पत्नी श्री शैलेन्द्र दांगी निवासी ग्राम भैसौदा तहसील बैरसिया जिला भोपाल द्वारा उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त क्षेत्र पर प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस तक की अवधि तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर प्रस्तुत किये जायेंगें।

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
भोपाल	बैरसिया	टांडा	128/1	भाग रकबा 2.600 हे.	शासकीय	मुरूम	भाग रकबा 2.600 हे.

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के सबंध में अन्य इच्छुक आवेदकों से विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक (कार्यालयीन समय सायं 05:30 बजे तक) ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। 2 यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा। 3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगें। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन पत्र तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा। 4. यदि प्रथम एवं द्वितीय विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा। 5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

जी-27065/25 प्रभारी अधिकारी (खनिज) जिला भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड अशोक विहार, लहारपुर डेम के समीप, बाग मुंगालिया, भोपाल

Fax & Phone No.0755-2930001, E-Mail I.D.emphbpl@mp.nic.in

क्रमांक 313/तक/का.यं./लो.स्वा./मैके. खण्ड/ भोपाल/2026/ दिनांक 02/03/2026

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 37/2025-26 दिनांक 02.03.2026 ऑन-लाईन निविदा क्रमांक 2026_PHED_486806_1 दिनांक 02.03.2026

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अंतर्गत् मैकेनिकल उपखण्ड रायसेन की आई.टी.एच. 10/02 विभागीय रिंग मशीन में विशेष सुधार कार्य के लिये कलपुर्जे क्रय हेतु ऑन लाईन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा दिनांक 17.03.2026 सायं 17.00 बजे बजे तक अधिकृत विक्रेता / प्रतिष्ठित फर्म जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव प्राप्त हो, से फार्म-C पर आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अभिलेखों जैसे प्रतिभूति राशि की पावती, अधिकृत विक्रेता के पंजीयन का प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र इत्यादि (निविदा अनुसार) निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन जमा करना होगा। निविदा दिनांक 18.03.2026 को सायं 17.15 बजे ऑन लाईन खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत रूपये 5,23,900.00/- (रूपये पाँच लाख तेईस हजार नो सौ) मात्र है तथा प्रतिभूति राशि रूपये 10,478.00/-(रू. दस हजार चार सौ अठहतर) मात्र है। निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्युमेंटस) राशि रूपये 2000/- ऑन लाईन भुगतान करने के उपरांत बेबसाईटः https://mptenders.gov.in पर ऑनलाईन क्रय किये जा सकते हैं। परिशिष्ट / संशोधन केवल वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण	टेण्डर के प्राक्कलन की अनुमानित लागत राशि (रू.)	धरोहर राशि (रू.)	टेण्डर का मूल्य (रू.)	टेण्डर आनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि	टेण्डर खुलने की तिथि
मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अन्तर्गत मैकेनिकल उपखण्ड रायसेन की आई.टी. एच. 10/02 विभागीय रिंग मशीन के विशेष सुधार कार्य के लिये कलपुर्जे क्रय	5,23,900.00	10.478.00	2,000.00	17.03.2026 17.00 बजे तक	18.03.2026 17.15 बजे

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्ते एवं विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑन-लाईन निविदा क्रमांक 2026_PHED_486806_1 दिनांक 02.03.2026 पर उपलब्ध है।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वा. यां.वि.मैके. खण्ड भोपाल

जी-27035/25